3-1-18

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 17.1.18 को पेश हो।

17.1.18

वकील अपीलान्ट उपस्थित । बहस एकपक्षीय सुनी गई ।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने अदालत मातहत मे एक दावा इस्तकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा एंव दुरूस्ती रेकार्ड का पेश कर निवेदन किया कि आराजी खाता सं0-151 में खसरा नम्बर 1180 से 1189 कुल किता-10 रकबा 4.64 हैक्टर तन ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित है । जिसके वतर्मान रेकार्ड में 3/5 हिस्सा का वादी सं0 1 से 3 के नाम, 1/5 हिस्सा वादी सं0-4 व मृतक गोरली के नाम तथा 1/5 हि0 प्रतिवादी सं0-1 से 3 के नाम चल रहा है ।जो गलत है ।खाता सं0-602 मे दर्ज भूमि ख0नं0 1417 रकबा 0.14 हैक्टर ग्राम थोई में दर्ज है जिसका वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में 2/5 हि0 वादी सं0-1 स 3 व प्रतिवादी सं0-1 से3 का पिता मृतक सालगराम के नाम, 1/10 हिस्सा वादी सं0-4 व मृतक गोरली के नाम दर्ज है जो गलत है ।इस प्रकार खाता संखया-77 में आराजी ख0नं0 1202, 1209, 1214, 1215 कुल किता-4रकबा 1.63

89/2006 [illegible]

हैक्टर एवं खाता संख्या-76 खसरा नं0 1322, 1323 1331 से 1333 कुल किता-5 रकबा 2.03 हैक्टर एवं खाता संख्या- 147 में ख0नं0 1425 से 1430 व 1469, 1484 कुल किता- 8 रकबा 1.40 हैक्टर एवं खाता संख्या- 603 खसरा नं0 1327, 1328, 1412 कुल किता-3 कुल रकबा 1.54 हैक्टर का वर्तमान राजस्व रेकार्ड भी गलत बना हुआ है । जिसको दुरूस्त कर वादीगण को उसके हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । अदालत मातहत ने वादीगण का दावा साबित नहीं होना मानकर खारिज कर दिया । जिसके खिलाफ अपीलान्ट ने यह अपील पेश की । अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे हैं । विद्वान वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत में वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश की जिससे मेरा दावा पूर्णया साबित था। जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की बल्कि प्रतिवादीगण दावे में हाजिर तक नहीं आये ओर मेरे दावे का कोई खण्डन नहीं किया जब मेरे दावे का प्रतिवादीगण ने कोई खण्डन नहीं किया तो मेरा दावा डिक्री किया जाना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने अपना निर्णय विधि के विपरित पारित किया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर वादीगण का दावा डिक्री किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई ।पत्रावली का अवलो-कन किया गया । दौराने बहस अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम-27 सीपीसी प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके साथ जमाबन्दी सं0 2074 से 2077, खसरा गिरदावरी सं0 2070 से 2074 पेश की जो लोक

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	ने अपीलान्ट का दावा यह कहते हुये खारिज किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारे के अनुसार कौनसे हिस्से पर काबिज है है तथा राजस्व रेकार्ड में गलती किस प्रकार हुई । हम यहां पर यह उचित मानते हैं कि प्रकरण में मौके की रिपोर्ट ली जाकर वादीगण से पुनः साक्ष्य ली जाकर पुनः निर्णय हेतु अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाना विधिक है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8-3-2006 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण में मौके की जांच करवाकर पुनः साक्ष्य लेते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दि0 5-3-2018 को उपस्थित होवे । निर्णय सुनाया बया । 17/1/18 (भवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	